

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक - 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 -108/13 -225 (मा0) पटना, दिनांक- 04/10/2017
सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम/लखीसराय ।

विषय- वर्ष 2017-18 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत 65 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत योजना अंतर्गत रोहतास जिला के बड़हरी एवं लखीसराय जिला के नोमा नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश मद से रु0 16.258 लाख (सोलह लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि की विमुक्ति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 65 नई ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन तथा पाँच वर्षों के लिए परिचालन एवं रख-रखाव हेतु योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक- 6/रा0 ग्रा0 पे0 यो0 -108/13 - 2376, दिनांक- 27.12.13 के द्वारा कुल रु0 12496.285 लाख (एक सौ चौबीस करोड़ छियानबे लाख अठ्ठाईस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की राशि पर प्रदान की गई है।

2. इस स्वीकृत योजना के अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम को बड़हरी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु रु0 6.258 लाख (छः लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) एवं लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय को नोमा ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु रु0 10.00 लाख (दस लाख रुपये मात्र), यानि कुल रु0 16.258 लाख (सोलह लाख पच्चीस हजार आठ सौ रुपये मात्र) की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के प्रोग्राम फण्ड से बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


3. बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि को कार्यपालक अभियंता जमा शीर्ष- 8782 में जमा कर उसका उपयोग स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर करेंगे।

4. इस योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत योजना की राशि तक सीमित रहेगा तथा किसी भी हालत में इस राशि का व्यय अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।


5. इस राशि का उपयोग शीघ्र सुनिश्चित कर व्यय की गई राशि एवं उससे कृत कार्यों के संबंध में प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।



विश्वासभाजन


31.10.2017
(दिनेश्वर प्र0 सिंह)

अभियंता प्रमुख -सह -विशेष सचिव



ज्ञापक-6/रा० ग्रा० पे० यो० -108/13-225(भा०) पटना, दिनांक-04/10/2017
प्रतिलिपि- क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, प्रक्षेत्र - पटना/भागलपुर
एवं अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अंचल, सासाराम/बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि - सदस्य सचिव, कार्यकारी समिति, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उनसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रोग्राम फण्ड के
अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य
प्रमंडल, सासाराम एवं लखीसराय को उक्त राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से विमुक्त की जाय।

3. प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियंता (मो०) को दो प्रतियों सहित /कार्यपालक अभियंता (मो०)-1
/कार्यपालक अभियंता (मो०)- 2 /प्रभारी, डाटा सेन्टर/ प्रशाखा पदाधिकारी- 6/
रोकड़पाल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/कार्यवाह सहायक प्रशाखा - 6 को
अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लो० स्वा० अभि० विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि- आप्त सचिव, सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ
प्रेषित।

5. प्रतिलिपि- आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ प्रेषित।




(दिनेश्वर प्र० सिंह)
अभियंता प्रमुख -सह -विशेष सचिव

